

3 शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान):- पूर्व में डवाकुआ के नाम से संचालित इस योजना में अनुदान राशि परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 300000.00) अथवा प्रति लाभार्थी रू0 60000.00 जो भी कम हो।

समूह गठन के लिए न्यूनतम 5 नगरीय निर्धन महिलाओं की सीमा का निर्धारण किया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप व समिति गठन के नियम अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं।